"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2009— भाद्र 27, शक 1931

# भाग 3 (1)

## विज्ञापन

## अन्य सूचनाएं

### नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रविन्दर कौर वाधवा पिता श्री गुरमीत सिंह वाधवा, उम्र 21 वर्ष, निवासी- ई. डब्ल्यू. एस. 239, वैशाली नगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम सोनिया वाधवा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे सोनिया वाधवा पिता श्री गुरमीत सिंह वाधवा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| रविन्दर कौर वाधवा | सोनिया वाधवा |
| पिता-श्री गुरमीत सिंह वाधवा | पिता-श्री गुरमीत सिंह वाधवा |
| निवासी-ई. डब्ल्यू. एस. 239 | निवासी-ई. डब्ल्यू. एस. 239 |
| वैशाली नगर भिलाई | वैशाली नगर भिलाई |
| तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) | तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) |

# विविध
## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास अनुविभाग अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 07 जुलाई, 2009

प्रारूप-चार
[ नियम 5(1) देखिये ]

[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का उपनियम (1) देखिए ]

क्रमांक /1287/वाचक-1/2009.— यह कि श्री सुशील शुक्ला आ. स्व. विनोद शुक्ला, पेशा अधिवक्ता, निवासी रिंग रोड नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 की धारा 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29-07-2009 को विचार के लिए लिया जाएगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसके लिए गठित की जाती है.

अत: मैं, पी. दयानन्द, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों की पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29-07-2009 को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक पक्ष के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण )

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | लोक न्यास का नाम और पता | : | श्री राजीव फाउन्डेशन, लोक न्यास अम्बिकापुर |
| 2. | चल संपत्ति | : | निरंक |
| 3. | अचल संपत्ति | : | निरंक |

जारी दिनांक 07-07-09

**पी. दयानन्द,**
पंजीयक.

# अन्य सूचनाएं

## कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर (छ. ग.)

कांकेर, दिनांक 28 अगस्त 2009

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/09/510.— कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपकां/परिसमापन/09/323 दिनांक 23-06-09 द्वारा आदिवासी महिला मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या. कुरूटोला को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित किया गया था एवं पत्र क्रमांक 455 दिनांक 04-08-09 द्वारा निर्धारित तिथि में संस्था अभिलेख सहित आहूत किया गया था, परन्तु समयावधि में संस्था के अध्यक्ष ने अभिलेख व जवाब प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे. जिसके कारण संस्था को परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाती है.

अतः मैं, सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत एवं सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक /एफ-7.3/सह./15/2436 रायपुर दिनांक 13-06-01 के द्वारा मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत आदिवासी महिला मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या. कुरूटोला, पं. क्र.-481 तह. चारामा का परिसमापक श्री टी. एस. कुंजाम, स. वि. अधि., चारामा को नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-08-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

**सी. एल. ध्रुव,**
उप-पंजीयक.

---

## कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 25 अगस्त 2009

**छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत**

क्रमांक/परिसमापन/2009/1442.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1685/बिलासपुर, दिनांक 16-8-07 के तहत कोटेश्वर गिट्टी खदान मजदूर सहकारी समिति मर्यादित, अमाली, पंजीयन क्रमांक 3739 दिनांक 6-9-96, विकासखण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिदं, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-8-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 25 अगस्त 2009

**छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत**

क्रमांक/परिसमापन/2009/1443.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/920/बिलासपुर, दिनांक 23-7-07 के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मनपहरी, पंजीयन क्रमांक 3724 दिनांक 18-4-96, विकासखण्ड ........, ज़िला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिदं, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-8-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

**एन. कुजूर,**
सहायक पंजीयक.

---

## कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 31 अगस्त 2009

क्रमांक/453/उपंरा/विधि/परि./2009.— वस्तुत: डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 07, जिला राजनांदगांव के संचालक मण्डल को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक /92/उपंरा/विधि/2009, राजनांदगांव, दिनांक 09-02-2009 जारी करते हुए यह निर्देश दिया गया कि कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/अभ्यावेदन 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा आपके संस्था को विद्यमान कारणों के परिणाम में परिसमापन में लाया जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा. डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 09-02-2009, दिनांक 12-02-2009 को हमदस्त तामिल किया गया तथा उक्त संस्था के अध्यक्ष श्री दीनदयाल यादव द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का कण्डिकावार जवाब दिनांक 16-3-2009 को उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया. प्रकरण में जारी कारण बताओं सूचना पत्र के परिप्रेक्ष्य में अध्यक्ष डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 16-3-2009 के तथ्यों पर कण्डिकावार विचार किया गया जिसका विश्लेषण निम्नानुसार है :-

(2) वास्तव में, डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़ को जारी कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र की कण्डिका क्रमांक-1 में यह प्रमुख कारण यह है कि डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़ पंजीयन क्रमांक-07 जिला राजनांदगांव एक पंजीकृत विपणन सहकारी सोसायटी है जो विगत कई वर्षों से निरंतर अपने पंजीकृत उपविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है ? तथा संस्था की व्यावसायिक गतिविधियां पूर्णत: बंद हो गयी है जिसके परिणामस्वरूप संस्था के अंशधारी सदस्यों को वर्तमान में संस्था से कोई लाभ नहीं मिल रहा है ? वस्तुत: कारण बताओं सूचना पत्र की इस कण्डिका अर्थात् कण्डिका क्रमांक-01 के विद्यामान कारणों के संबंध में अध्यक्ष डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव ने अपने जवाब दिनांक 16-3-2009 में यह तथ्य बताया है कि डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़ जो विगत कई वर्षों से निरंतर अपने उद्देश्यों के अनुरुप कार्य कर रही थी जिसका लाभ अंशधारी सदस्यों को मिल रहा था वर्तमान में भी संस्था द्वारा अपने व्यवसाय को चलाने के लिए छ. ग. शासन से आर्थिक सहायता की मांग का प्रयास किया जा रहा है जिसमें मिट्टी तेल डीलर का कार्य मुख्य है साथ ही खाद्यान्न वितरण का कार्य शहरी क्षेत्र की तीन दुकानें चलाई जा रही है. किसान राईस मिल को लीज पर दिया गया है जिससे संस्था को किराया पाप्त हो रहा है एवं संस्था का कार्य चल रहा है. वास्तव में कारण बताओ सूचना पत्र की कण्डिका क्रमांक-01 के संबंध मे अध्यक्ष डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव द्वारा प्रस्तुत जवाब अस्पष्ट एवं भ्रामक है के तथ्यो पर विचार किया गया. वास्तव में उक्त संस्था की वास्तविक स्थिति यह है कि संस्था ने अपने पंजीकृत उपविधियों

के विहित प्रावधानों के अनुरुप विगत कई वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2003-04 से निरंतर कार्य करना बंद कर दिया है, जो व्यवसाय संस्था द्वारा किया जा रहा है उसमें बहुत बड़ी अव्यवस्था व्याप्त है जिससे संस्था की वित्तीय स्थिति का निरंतर क्षरण हुआ है एवं संस्था की वित्तीय स्थिति निरंतर बदतर हुई है जिससे संस्था की व्यावसायिक गतिविधियां मृतप्राय हो गयी है जिससे उसके अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है और संस्था जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के कालातीत ऋण एवं राज्य शासन की अंशपूंजी, ऋण, ब्याज एवं दण्ड ब्याज की राशि जमा करने में निरंतर असहाय एवं अक्षम हो गयी है वस्तुतः कण्डिका क्रमांक-01 के परिप्रेक्ष्य में संस्था द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्य पर्याप्त एवं समाधानकारक नहीं हैं, पाया जाता है.

(3) डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांगांव को जारी कारण बताओ सूचना पत्र की कण्डिका क्रमांक-02 के प्रमुख कारण यह है कि डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़ ने अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव से साख सीमा एवं अन्य ऋण लिया है जो दिनांक 31-3-2008 की स्थिति में रुपए 32,98,092.58 हो गया है जो विगत कई वर्षों से कालातीत हो गया है जिससे आपकी संस्था जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव की कालातीत ऋणी हो गयी है और उक्त ऋणों को अदा करने में आपकी संस्था ने कोई परिणाममूलक पहल नहीं किया है वरन संस्था ने केवल उचित मूल्य की दुकानों का संचालन करते हुए केवल सोसायटी के कर्मचारियों को काम उपलब्ध कराया है जिससे संस्था को कोई लाभ नहीं हो रहा है अपितु संस्था की पूंजी का क्षरण हुआ है ? इस कण्डिका के जवाब में अध्यक्ष ने यह तथ्य बताया है कि वर्तमान में संस्था को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव को रुपये 32,98,092.58 देना शेष है जो कालातीत हो गया है. संस्था ऋण एवं ब्याज देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि संस्था द्वारा व्यवसाय में निरंतर हानि एवं शासन के मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने से मिट्टी तेल व्यवसाय, खाद का व्यापार, उसना राईस मिल का बंद होना समाप्ति है.

वस्तुतः कारण बताओ सूचना पत्र के कण्डिका क्रमांक 2 के तथ्यों को डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़ ने अपने जवाब में स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि संस्था का व्यवसाय समाप्ति पर है तथा संस्था जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के कालातीत ऋण राशि रुपए 32,98,092.58 को अदा करने की स्थिति में नहीं है.

(4) वस्तुतः डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को जारी कारण बताओ सूचना पत्र की कण्डिका क्रमांक-03 में यह प्रमुख कारण विद्यमान है कि डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव पर छत्तीसगढ़ शासन की अंशपूंजी, ऋण, ब्याज एवं दण्ड ब्याज की राशि रुपए 20,44,925.00 बकाया है जिसे अदा करने में उक्त संस्था ने निरंतर चूक किया है और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव एवं राज्य शासन की अंशपूंजी एवं ऋण जमा करने में निरंतर उपेक्षावान एवं लापरवाह रही है ? इस कण्डिका के जवाब में डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव ने यह स्वीकार किया है कि उनकी संस्था पर राज्य शासन का रुपए 20,44,925.00 अदा करने हेतु बकाया है किन्तु उनकी संस्था उक्त धनराशि अदा करने की स्थिति में नहीं है जिसका प्रमुख कारण संस्था के व्यवसाय में निरंतर हानि एवं व्यवसाय का बंद हो जाना रहा है. वास्तव में डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव इस कण्डिका के तथ्यों को स्वीकार किया है तथा वह राज्य शासन की बकाया राशि जमा करने में सक्षम नहीं हैं.

(5) वस्तुतः डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को जारी कारण बताओ सूचना पत्र की कण्डिका क्रमांक-4 के प्रमुख कारण यह है कि डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव के अंकेक्षण टीपों क्रमशः 2003-04, वर्ष 2004-05 के अवलोकन करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त दोनों ही वर्षों में अनियमित रूप से वर्ष का लाभ दर्शित किया गया है तथा उन्हें दोनों ही वर्षों की संचित हानि क्रमशः वर्ष 2003-04 में संचित हानि रुपए 8.10 लाख तथा वर्ष 2004-05 में संचित हानि रुपए 7.15 लाख है तथा वर्ष 2003-04 से निरंतर संस्था हानि में चल रही है. संस्था के वर्ष 2005-06, वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 के रिकार्डस अपूर्ण हैं एवं उनके वित्तीय पत्रक तैयार कर अंकेक्षक को आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराया है और इन वर्षों में संचित हानि बढ़ने की संभावनाएं विद्यमान है तथा उसकी व्यवसायिक गतिविधियां बंद हो गयी है जिसके परिणामस्वरूप डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव की कालातीत ऋण राशि रुपए 32,98,092.58 तथा राज्य शासन की अंशपूंजी, ऋण, ब्याज एवं दण्ड ब्याज की राशि रुपए 20,44,925.00 कुल ऋण राशि रुपए 53,43,017.58 अदा करने में असमर्थ है जिसे अदा करने के लिए उक्त संस्था के पास कोई व्यवसाय/योजना/परिसम्पत्तियां नहीं है और संस्था निरंतर निष्क्रिय/अकार्यशील हो गयी है जिसे अस्तित्व में बनाए रखने का कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है ?

वस्तुतः डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव ने अपने जवाब में वित्तीय वर्ष 2003-04 एवं वित्तीय वर्ष 2004-05 की संचित हानि तथा वित्तीय वर्ष 2005-06, वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 के रिकार्डस अपूर्णता के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया है. संस्था ने केवल यह तथ्य स्वीकार किया है कि वर्तमान में उसे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के ऋण एवं राज्य शासन की अंशपूंजी एवं ऋण की कुल राशि रुपए 53,43,017.58 अदा करना है जिसकी अदायगी के लिए प्रयास किया जा रहा है. संस्था की परिसम्पत्तियों में संस्था के पास अरवा राईस मिल के साथ तीन गोदाम एवं भूमि है जिसे लीज एवं किराए पर दिया गया है और संस्था की व्यावसायिक गतिविधियां पुनः चालू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है वस्तुतः कण्डिका क्रमांक 4 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत संस्था का जवाब भ्रामक एवं मिथ्या है. वास्तव में डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव की अरवा राईस मिल, गोदाम एवं भूमि को छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर ने अपने स्वामित्व की बताई है तथा वर्तमान में उक्त सोसायटी की परिसम्पतियां अस्पष्ट है.

उपरोक्त विवेचना के परिणाम में यह तथ्य प्राप्त होता है कि कारण बताओ सूचना पत्र के विद्यमान कारणों के परिप्रेक्ष्य में डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्य पर्याप्त एवं समाधानकारक नहीं है. डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव ने अपने पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है और अव्यवस्था के कारण उसकी व्यावसायिक गतिविधियां 2003-04 से निरंतर क्षीण हुई है तथा संस्था की पूंजी का क्षरण उसकी व्यावसायिक गतिविधियों के कारण हुआ है वर्तमान में उसकी व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु संस्था में पूंजी का पूर्णत: अभाव है एवं उसकी व्यावसायिक गतिविधियां नगण्य है जिसके परिणामस्वरूप उक्त संस्था जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव की ऋण राशि रुपए 32,98,092.58 तथा राज्य शासन की अंशपूंजी, ऋण, ब्याज एवं दंण्ड ब्याज की बकाया राशि रुपए 20,44,925.00 कुल ऋण राशि रुपए 53,43,017.58 अदा कराने के लिए सक्षम नहीं है और उसके व्यावसायिक गतिविधियों से सोसायटी को निरंतर हानि हुई है तथा उसके स्थायी/अस्थायी परिसंपत्तियों का क्षरण हो रहा है जिससे राज्य शासन एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव की बकाया राशि की वसूली संदिग्ध हो गई है, इसलिए विद्यमान कारणों के परिणामस्वरूप डोंगरगढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को अस्तित्व में बनाए रखने का कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है, इसलिए डोंगरगढ़ विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था, उसके अंशधारी सदस्यों तथा राज्य शासन के व्यापक हित में परिसमापन में लाया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है ताकि उक्त संस्था की वर्तमान परिसम्पत्तियों के निराकरण से राज्य शासन एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के क्रमश: अंशपूंजी, ऋण, ब्याज एवं दण्ड ब्याज एवं कालातीत ऋण में रुपए 53,43,017.58 की अदायगी हेतु आवश्यक कार्यवाही संस्थित की जा सके.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए डोंगरगढ़ विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित डोंगरगढ़ , पंजीयन क्रमांक 07, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (ए/क) एवं (सी/ग) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के तहत श्री एस. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा परिसमापक को यह निदेश देता हूं कि वह उक्त संस्था का समस्त प्रभार प्राप्त कर नियमानुसार प्रभार सूची इस कार्यालय एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव को यथाशीघ्र प्रस्तुत करें तथा परिसमापक की प्राथमिकता सुनिश्चित करते हुए राज्य शासन एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के बकाया राशि की वसूली के संबंध में उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करें ताकि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 31-8-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**एस. एल. विश्वकर्मा,**
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.